## :: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0खं0) रूद्रप्रयाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यों हेतु 1.501 हे0 भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.912 हे0 भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण पर उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या–08/र0का0–क्षति0वृ0/(2020–21) दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया है कि जाबरी–जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 60 के खसरा सं0 278 रकवा 2.500 है0 तथा खसरा संख्या– 1369 रकवा 0.700 हे0 मध्ये 0.412 है0 अर्थात कुल रकवा 2.912 है0 भूमि श्रेणी–9(3)(ड़) बंजर श्रेणी की भूमि चयनित कर चयनित भूमि का नक्शा, खसरा वं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या– 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 60 के खसरा सं0 278 रकवा 2.500 है0 तथा खसरा संख्या– 1369 रकवा 0.700 हे0 मध्ये 0.412 है0 अर्थात कुल रकवा 2.912 है0 भूमि श्रेणी–9(3)(ड़) बंजर श्रेणी की चयनित भूमि उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक–04–06–2021

ह0/–
(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 4085 /छब्बीस–19/2020–21/ दिनांकः रूद्रप्रयागः जून, 05 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
6– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
8– अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं0खं0), रूद्रप्रयाग।

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।